तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 14/2020 बअनवान उकीकंवर बनाम आरम खां वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.06.2022	पत्रावली पेश हुई। अपीलांटगण के अधिवक्ता श्री पुरूषोतम सोनी एवं रेस्पोडेंटस अधिवक्ता श्री नृसिंह सोलंकी उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आराजी का अपीलांट सदभावी क्रेता है। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलाधीन आराजी का बेचान करने से पूर्व मुझे कब्जा दिया गया। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त है तथा मौके पर ढाणी, टांका बना हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दवाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्ष के हितों का निर्धारण भी मूल दावे के निस्तारण पर ही संभव है। दावे के विचाराण में रहते अपीलांटगण को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन वेंदखल करने पर प्रयासरत है तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांटगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में है। अतः अपीलांटगण की अपील को स्वीकार फरमाया जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेंटस ने बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा 12 बीघा भूमि खसरा नंम्बर 194/90 में से अपीलांट को बेचान किया गया। बेचान के साथ एक नजरी नक्शा भी था जो बेचान का अभिन्न अंग था लेकिन अपीलांट ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर बेचान के संलग्न नक्शे के अनुसार तरमीम नहीं कर गलत तरमीम करवा कर रेस्पोडेंटस की खातेदारी भूमि पर निर्माण करना चालू किया गया जिसे रेस्पोडेंटस द्वारा मना करने के बावजूद निर्माण कार्य जारी रखा गया। अपील आधारहीन है। मूल दावे में अभी तक नोटीश भी जारी नहीं हुए। रेस्पोडेंट को परेशान करने के लिए अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। मामल प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता उभंयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांटगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते है तो अपीलांटगण के हितों पर कुठाराघात संभाव्य है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होता है। लिहाजा अपील मीमो के साथ अपीलांट द्वारा पेश शपथ–पत्र पर विश्वास कर अपील स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.07.2019 को निरस्त किया जाता है तथा हाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.03.2020 को तावाद फैसला कन्फर्म किया	

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अधिकतम तीन माह में मूल वाद का गुणावगुण पर निस्तारण करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर